

श्री राजेश कुमार, मा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक 02.09.2014 को आयोजित जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

1. उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ ।
2. जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ ।
3. परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्णियाँ ।
4. जिला मत्स्य पदाधिकारी, पूर्णियाँ ।
5. जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ ।
6. जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ ।
7. कार्यपालक अभियंता, नलकूप, पूर्णियाँ ।
8. कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बनमनखी ।
9. कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा ।
10. कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, कटिहार ।
11. डी0डी0एम0 नाबार्ड पूर्णियाँ ।

सर्व प्रथम सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। मुख्य सचिव के पत्रांक 3062/कृ0 दिनांक 10.08.2014 के आलोक में बिन्दुवार समीक्षा की गई।

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं/कार्यक्रम की समीक्षा

1.1 विभिन्न फसलों के आच्छादन/वर्षापात की स्थिति की समीक्षा :-

फसल आच्छादन :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि खरीफ वर्ष 2014 में धान एवं मक्का फसल के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि निम्न प्रकार है:-

धान			मक्का		
लक्ष्य (हे0में)	आच्छादन (हे0में)	आच्छादन %	लक्ष्य (हे0में)	आच्छादन (हे0में)	आच्छादन %
98000	100571	102.623	18000	2343	13.02

मक्का आच्छादन की उपलब्धि लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 13.02 प्रतिशत होने के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्णियाँ जिला में खरीफ मक्का का आच्छादन कम होता है। रबी मक्का का आच्छादन लक्ष्य की तुलना में काफी अधिक होता है। उनके द्वारा बताया गया कि, इसका मुख्य कारण रबी मौसम की तुलना में खरीफ मौसम में मक्का उत्पादन का कम होना एवं फसल का असुरक्षित रहना है। जिसके कारण खरीफ मौसम में मक्का के बदले किसान अगात आलु की खेती को प्राथमिकता देते हैं।

वर्षापात की स्थिति की समीक्षा :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि माह मई 2014 से लेकर अद्यतन सामान्य वर्षापात की तुलना में वास्तविक वर्षापात की स्थिति मि0मी0 में निम्न प्रकार से है:-

तुलनात्मक वर्षापात प्रतिवेदन				
क्र0	माह का नाम -	माह का सामान्य वर्षापात (मि0मी0)	वास्तविक वर्षापात (मि0मी0)	
			वर्ष 2013	वर्ष 2014
1	मई 2014	96.7	8.26	125.67
2	जून, 2014	251.7	145.84	196.52
3	जुलाई, 2014	366.3	206.24	230.1
4	अगस्त 2014	323.5	191.00	305.44
5	सितम्बर 2014	261.2	183.23	7.26 Till 02.09.14)

1.2 उर्वरक, कीटनाशी एवं बीज की उपलब्धता/वितरण समीक्षा :-

उर्वरक :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 2014 तक उर्वरक की आवश्यकता एवं माह जुलाई 2014 तक वास्तविक प्राप्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र0	घटक	खरीफ में उर्वरक आवश्यकता (मे0टन0)	उपलब्धता (मे0टन0)	अभ्युक्ति
1	यूरिया	35800.00	27431.95	
2	डी0ए0पी0	8400.00	18767.5	
3	एन0पी0के0	6600.00	8070.90	
4	एम0ओ0पी0	2800.00	8626.40	
5	एस0एस0पी0	4499.00	1657.65	

समीक्षा के क्रम में यूरिया एवं एस0एस0पी0 की उपलब्धता आवश्यकता के अनुरूप कम पाई गयी है। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

कीटनाशी :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कीटनाशी दवा बाजार में पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है।

बीज की उपलब्धता :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि खरीफ 2014 में लक्ष्य के अनुरूप बीज उपलब्ध था। उनके द्वारा बताया गया कि रबी मौसम में बीज की उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय बीज निगम/ बिहार राज्य बीज निगम के अधिकृत विक्रेता एवं निजी कम्पनी के अधिकृत विक्रेताओं के साथ गेहूँ, मक्का एवं अन्य फसलों के बीज की उपलब्धता के संबंध में दिनांक 30.08.2014 को बैठक किया गया है। सभी विक्रेताओं के द्वारा ससमय बीज उपलब्ध कराने का अश्वासन दिया गया है।

1.3 कीटनाशी नमूना/बीज नमूना/उर्वरक नमूना का संग्रहन विश्लेषण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

क्र0	नमूना	नमूना का लक्ष्य (सं0में)	लिये गये नमूनों की सं0	विश्लेषित नमूना की सं0	अमानक नमूना की सं0	अमानक नमूना पर कृत कार्रवाई
1	कीटनाशी नमूना	6	3	0	0	0
2	बीज नमूना	90	45	45	0	0
3	उर्वरक नमूना	49	98	14	0	0

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निदेशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हेतु तीव्र कार्रवाई करें। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भेजे गये उर्वरक नमूना के विरुद्ध विश्लेषित नमूनों की संख्या कम है। जिला कृषि पदाधिकारी इस संबंध में समुचित कार्रवाई करेंगे।

1.4 उर्वरक/बीज/कीटनाशी व्यापारियों के विरुद्ध की गई छापेमारी की समीक्षा :- जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जुलाई महीने में दो प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गयी थी। अगस्त माह में छापेमारी नहीं किया जा सका है। साथ ही कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी द्वारा एक कीटनाशी प्रतिष्ठान न्यू पौधा संरक्षण केन्द्र, खुशकीबाग, पूर्णियाँ की छापेमारी की गयी है। विक्रेता से स्पष्टीकरण पूछा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

जिला पदाधिकारी के द्वारा छापेमारी पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि इस सप्ताह कम से कम 5 छापेमारी करें एवं अधिनस्थ सक्षम कर्मियों को भी छापेमारी हेतु निदेशित करें एवं फलाफलों से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें।

1.5 बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति नहीं है।

अतः आकस्मिक फसल योजना की आवश्यकता नहीं है।

1.6 श्री विधि धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम:- जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया की खरीफ मौसम में श्री विधि धान प्रत्यक्षण का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है जिसकी विवरणी निम्न है :-

रा0कृ0वि0योजनान्तर्गत श्री विधि धान प्रत्यक्षण				रा0खा0सु0मि0योजनान्तर्गत श्री विधि धान प्रत्यक्षण			
लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
भौतिक (ए0में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (ए0में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (ए0में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (ए0में)	वित्तीय (लाख में)
17160	514.8	17160	514.8	2840	85.20	2840	85.20

जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत मक्का, गेहूँ, एवं दलहनी फसलों का प्रत्यक्षण कार्य रबी में सम्पादित होगा। कृषकों के चयन के लिए सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को पूर्व में निदेशित किया जा चुका है।

1.7 संकर धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि खरीफ मौसम में 16750 एकड़ में संकर धान प्रत्यक्षण का लक्ष्य है जिसके विरुद्ध 16750 एकड़ में संकर धान प्रत्यक्षण सम्पादित किया गया।

संकर धान प्रत्यक्षण			
लक्ष्य		उपलब्धि	
भौतिक (ए0में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (ए0में)	वित्तीय (लाख में)
16750	201.00	16750	201.00

1.8 अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम :- समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अनुदानित दर पर धान के अधिक उपजशील प्रभेदों-राजेन्द्र मंसूरी, स्वर्णा सब-1 10 रुपये प्रति किलो अनुदानित दर पर बिहार राज्य बीज निगम/राष्ट्रीय बीज निगम एवं अन्य एजेन्सियों के द्वारा किसानों के बीच वितरित किया जाना था। राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा 499.00 क्विंटल धान बीज उपलब्ध हुआ जो किसानों के बीच वितरण किया जा चुका है।

1.9 केन्द्रीय बीज ग्राम योजना :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि बीज ग्राम योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड के चयनित 6 बीज ग्राम से 100 कृषक के हिसाब से 8400 कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर एक एकड़ हेतु 12 किलो धान अधिक उपजशील प्रभेद एवं 400 ग्राम एजेटोबैक्टर एवं 400 ग्राम पी0एस0बी0 प्रति एकड़ की दर से दिया गया जो निम्न प्रकार है:-

बीजग्राम योजना						
लक्ष्य			उपलब्धि			लाभान्वितों की सं०
बीज की मात्रा (क्वि०में)	एजेटोबैक्टर (कि०ग्रा० में)	पी0एस0बी0 (कि०ग्रा० में)	बीज की मात्रा (क्वि०में)	एजेटोबैक्टर (कि०ग्रा० में)	पी0एस0बी0 (कि०ग्रा० में)	
1008	3360.00	3360.00	966.94	3223.13	3223.13	8058

1.10 एकीकृत बीज ग्राम योजना :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस योजना का कार्यान्वयन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पूर्णियों के स्तर से किया जा रहा है। उपलब्धि निम्न प्रकार है :

उपलब्धि			
फसल का नाम	प्राप्त बीज की मात्रा (क्वि०)	रकवा (हे०में)	वितरित बीज की मात्रा (क्वि०)
जूट	1.28	32.00	1.28

1.11 बदलते मौसम के अन्तर्गत अरहर मडुआ एवं मक्का प्रत्यक्षण कार्यक्रम :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस योजना अन्तर्गत इस जिले को लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

1.12 पैडी ट्रांसप्लान्टर/ड्रम सीडर एवं जीरोटिलेज तकनीक से धान/गेहूँ की बुआई :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि धान फसल योजनावार लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

क्र०	योजना का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक (ए०में)	वित्तीय(लाख में)	भौतिक (ए०में)	वित्तीय(लाख में)
1	पैडी ट्रांस प्लान्टर	450	9.00	450	0
2	ड्रम सीडर	297	2.228	297	0
3	जीरोटिलेज	535	13.375	535	0

समीक्षा के क्रम में वित्तीय उपलब्धि शून्य पाया गया। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशि प्राप्त हो चुकी है। जिला कृषि पदाधिकारी को इस संबंध में तीव्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

1.13 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम से 2-2 कृषक को लाभान्वित किया गया है। प्रति कृषक आधा एकड़ की दर से 6 किलो अधिक उपजशील धान प्रभेद एवं पी०एस०बी० 200 ग्राम एजेटोबैक्टर 200 ग्राम की दर से कृषकों उपलब्ध कराया गया है। लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार						
लक्ष्य			उपलब्धि			लाभान्वितों की सं०
बीज की मात्रा (कि०ग्रा० में)	एजेटोबैक्टर (कि०ग्रा० में)	पी०एस०बी० (कि०ग्रा० में)	बीज की मात्रा (कि०ग्रा० में)	एजेटोबैक्टर (कि०ग्रा० में)	पी०एस०बी० (कि०ग्रा० में)	
153.72	512.40	512.40	153.72	512.40	512.40	2562

1.14 श्री विधि अन्तर्गत रोपणहार का प्रशिक्षण कार्यक्रम :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में 5-5 सरकारी प्रक्षेत्र/ कृषि विज्ञान केन्द्र, जलालगढ़/प्रगतिशील कृषकों के तीन-तीन एकड़ में महिला रोपणहारों को प्रशिक्षण दिया गया है। लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

क्र०	योजना का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक (ए०में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (ए०में)	वित्तीय (लाख में)
1	रोपणहार का प्रशिक्षण	7000	21.00	7000	21.00

1.15 सामुदायिक नर्सरी योजना :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत जिले के 6 प्रखंडों में प्रति प्रखंड 25 एकड़ की दर से सामुदायिक नर्सरी की स्थापना की गयी थी, जिससे 1500 एकड़ में धान की रोपनी की गयी है। लाभान्वितों की सं० 1078 है।

सामुदायिक नर्सरी				लाभान्वितों की सं०
लक्ष्य		उपलब्धि		
भौतिक (ए०में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (ए०में)	वित्तीय (लाख में)	
150	9.75	150		1078

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि इस माह में निश्चित रूप से लक्ष्य के अनुसार वित्तीय उपलब्धि प्राप्त कर लिया जाय।

1.16 गहरे पानी का धान प्रत्यक्षण :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस योजना अन्तर्गत इस जिले को लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

1.17 जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्न प्रकार है-

क्र०	योजना का नाम	इकाई	लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय (लाख में)	भौतिक	वित्तीय (लाख में)
1	पक्का वर्मी कम्पोस्ट	सं०	1255	37.65	1089	32.67
2	एच०डी०पी०ई०	सं०	1506	45.18		
3	वर्मी कम्पोस्ट वितरण	हे०	6275	18.825	2498.37	8.202

समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय स्तर से एच०डी०पी०ई० योजनान्तर्गत वर्मी बेड के वितरण पर रोक रहने के कारण प्रगति शून्य है। इस योजना की राशि पक्का वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर व्यय किया जाना है। विभागीय निदेशानुसार योजना कार्यान्वयीत करने का निदेश दिया गया है। वर्मी कम्पोस्ट वितरण का लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

1.18 राज्य योजनान्तर्गत अन्न भंडारण हेतु गोदाम निर्माण एवं धातु कोठिला का वितरण :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि गोदाम निर्माण से संबंधित लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्न प्रकार है :-

क्र०	योजना का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि		अभ्युक्ति
		भौतिक (स०में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (स०में)	वित्तीय (लाख में)	
1	गोदाम निर्माण	16	64.00	1	-	12 किसानों को स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है। जिनके द्वारा गोदाम निर्माण का कार्य जारी है।

समीक्षा के क्रम में उपलब्धि कम होने की स्थिति में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक गोदाम पूर्ण है। 12 कृषकों को स्वीकृति पत्र दिया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता/विभागीय कृषि अभियंता के सत्यापन के पश्चात् कोषागार से निकासी करने के पश्चात् लाभुकों को 4.00 लाख रुपये अनुदान की राशि दी जाती है। अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार लक्ष्य प्राप्ति हेतु निदेशित किया जाता है।

1.19 कृषि यांत्रिकरण योजना :- जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजनान्तर्गत कृषकों से ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त किया जाना है। ऑन-लाईन आवेदन के प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय अखबार में विज्ञप्ति के साथ-साथ जिला एवं प्रखंडों में फलेक्सी लगाये गये है। लक्ष्य निम्न प्रकार है:-

क्र०	योजना का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
		भौतिक (स०में)	वित्तीय (लाख में)	भौतिक (स०में)	वित्तीय (लाख में)
1	कृषि यांत्रिकरण	8731	465.329	0	0

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अबतक मात्र 21 कृषकों के द्वारा ऑन-लाईन आवेदन दिया गया है, जिसमें से 17 आवेदन को किसानों के स्तर से Finilize कर दिया गया है।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक किसान सलाहकार किसानों के बीच इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें, तथा लक्ष्य के अनुरूप उप सुनिश्चित करें।

1.20 डीजल अनुदान वितरण का प्रखंडवार समीक्षा :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि डीजल अनुदान योजना अन्तर्गत 239.972 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त था। जिसे प्रखंडों को आच्छादन के अनुसार उपावंटित किया जा चुका है। अबतक प्रखंडों में 46487 किसानों का 121305.66 एकड़ के लिए आवेदन प्राप्त है। जिसकी राशि 303.2642 लाख रुपये है। जिसके विरुद्ध वैसा प्रखंड द्वारा 11.44 लाख रुपये निकासी की गई है। जिसका वितरण कार्य कैम्प लगाकर 3-4 सितम्बर 2014 को प्रखंड में किया जा रहा है।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि डीजल अनुदान वितरण में पारदर्शिता बरती जाय। प्रखंड स्तर पर कैम्प आयोजित कर स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में उपलब्ध राशि से वितरण कार्य सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि डीजल अनुदान का वितरण पुर्ण सत्यापन के उपरान्त ही किया जाय। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विभाग के वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से औचक सत्यापन करावें।

1.21 मिट्टी जॉच नमूनों का संग्रहन/विश्लेषण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की समीक्षा :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्न प्रकार है-

क्र०	योजना का नाम	नमूना संग्रह का लक्ष्य (सं०में)	संग्रहित नमूना	विश्लेषित नमूनों की सं०	मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की सं०
1	मिट्टी जॉच	10248	10048	3136	3136

समीक्षोपरान्त जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण की समीक्षा नियमित रूप से करें।

1.22 आत्मा योजना :- आत्मा योजना अन्तर्गत विभिन्न अवयव के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धी नगण्य पायी गई। जिसपर गंभीर असंतोष व्यक्त किया गया। परियोजना निदेशक (आत्मा) द्वारा इस संबंध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका। परियोजना निदेशक व्यक्तिगत अभिरुची लेकर प्रगति लावें। विशेष कर कृषकों के प्रशिक्षण/Exposure Visit में अविलम्ब प्रगति लाई जाय। आगामी बैठक में बिन्दुवार समीक्षा की जायेगी।

1.23 दियारा /टाल विकास योजना की समीक्षा :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि इस योजना का लक्ष्य अप्राप्त है। गत वर्ष के लक्ष्य को आधार मानते हुए बांस बोरिंग, सब्जी बीज वितरण, एवं लत्तेदार सब्जी फसलों का प्रत्यक्षण हेतु किसान की चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।

1.24 ई०-किसान भवन एवं जिला कृषि भवन के निर्माण की समीक्षा :-

क्र०	योजना का नाम	स्वीकृत ई०-किसान भवन की सं०	निर्मित ई०-किसान भवन	निर्माणाधीन ई०किसान भवन	अभ्युक्ति
1	ई०किसान भवन	14	9	2 (जलालगढ़ एवं वैसा)	भवानीपुर एवं श्रीनगर का निविदा हो चुका है। डगरुआ प्रखंड में जमीन उपलब्ध कराने हेतु अपर समाहर्ता, पूर्णियों के स्तर से पत्र निर्गत किया जा चुका है।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि कृषि प्रक्षेत्र से संबंधित विभिन्न विभाग लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धी प्राप्त करेंगे। साथ ही अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए कर्णांकित राशि के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर लक्षित व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1.25 मुख्यमंत्री बागवानी मिशन/राष्ट्रीय बागवानी योजना/राष्ट्रीय सब्जी प्रोत्साहन योजना

उपरोक्त तीनों योजनाओं की समीक्षा जिला उद्यान पदाधिकारी के राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने कारण अनुपस्थिति के आलोक में नहीं की जा सकी।

2. लघु सिंचाई विभाग :-

2.1 राजकीय नलकूप की स्थिति:- राजकीय नलकूप की समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा संचालित जिला अन्तर्गत कुल 104 नलकूप है, जिसमें 61 चालू है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :- 27 पुराना नलकूप में से 14 चालू अवस्था में है। 51 नया में से 42 चालू अवस्था में है। 6 नाबार्ड फेज-3 में से चालू है। 20 नाबार्ड फेज-8 में से 1 चालू है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि राजकीय नलकूप के माध्यम से कुल 1010 हे० के विरुद्ध विगत खरीफ फसल में 119.9 हे० आच्छादित है, जो 10 प्रतिशत है। विभाग की प्रगति निराशाजनक है। सहायक अभियंता द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए बताया गया कि चैनल ध्वस्त हो जाने के कारण कमांड एरिया के अनुसार सिंचाई नहीं हो रही है। चैनल की मरम्मत हेतु विभाग को प्राक्कलन समर्पित किया जा चुका है।

2.2 बिहार शताब्दी निजी नलकूप समीक्षा:- सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि यह योजना धमदाहा प्रखंड में कार्यान्वित है। जिसमें 40 कृषकों का चयन किया गया है।

जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि राजकीय नलकूप के तकनीकी दोष का निराकरण करते हुए चालू कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही बिहार सरकार में निजी नलकूप योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी -सह- सदस्य सचिव इसकी नियमित समीक्षा करेंगे।

3. सिंचाई विभाग :-

3.1 नहरों द्वारा उसके अंतिम बिन्दु तक सिंचाई हेतु पानी पहुँचने की स्थिति की समीक्षा :- कार्यपालक अभियंता, नहर प्रमंडल, बनमनखी, बथनाहा, एवं कटिहार के द्वारा बताया गया कि खरीफ में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार फसलों की सिंचाई हेतु Tail end तक पानी पहुँचता है।

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा समीक्षोपरान्त जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से इस बिन्दु का भौतिक सत्यापन करावे की विभिन्न नहरों से Tail end तक पानी पहुँच रहा है अथवा नहीं। साथ ही प्रत्येक सप्ताह नहर के Tail end का फोटो ग्राफ टास्क फोर्स की बैठक में उपलब्ध करावें।

4. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड :-

4.1 बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई हेतु 8 घंटा कार्य की समीक्षा :- बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, विद्युत के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु 8 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है।

5. सहकारिता विभाग-

5.1 फसल बीमा की समीक्षा :- जिला सहकारिता पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण समीक्षा नहीं हो पाया।

6. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा:- समीक्षोपरान्त बैठक में उपस्थित जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विभिन्न विभागीय योजना अन्तर्गत लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि प्राप्त करें तथा प्रखंड-वार प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

7. किसान क्रेडिट कार्ड एवं कृषि ऋण की समीक्षा :- जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव के निदेशानुसार दिनांक 27.08.2014 को के0सी0सी0 कैम्प का आयोजन किया गया था, समेकित प्रतिवेदन निम्न प्रकार से है:-

प्राप्त आवेदन/ कृषक की सं०	ऋण की राशि	स्वीकृत आवेदन		वितरित आवेदन	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1103	683.18	133	126.5	133	126.5

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा निदेश दिया गया कि अग्रणी बैंक प्रबंधक को भी इस बैठक में आमंत्रित करें ताकि के0सी0सी0 एवं कृषि ऋण की समीक्षा की जा सके।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति की गयी।

ह0/-

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ ।

ज्ञापांक- 1212 दिनांक- 8.9.2014
प्रतिलिपि- सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

[Handwritten Signature]
BAO/ur

Rajendra
08/9/14
जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ ।

②
परियोजना निदेशक
कृषि